सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

सं0 एसएसएम/16/2011/एसटीजीडीएच/एसईओटीएच/आर.यू.–I

Dated 23/2/2012

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर,
   जिला जयपुर,
   राजस्थान

2. पुलिस अधीक्षक,
   जिला जयपुर (ग्रामीण),
   राजस्थान

विषय: **अनुसूचित जनजाति के सदस्य की ग्राम– दादूका, तहसील–कोटपुतली, जिला– जयपुर (राजस्थान) में अपनी कृषि भूमि के संबंध में प्रताड़ित करने के संबंध में श्री सूबे सिंह मीणा, का अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा आपको लिखित पत्र संख्या 3/14/राज./12/2010/आरयू तथा 3/14/राज./13/2010/आरयू दिनांक 30-12-2010 व 16-03-2011 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस प्रकरण में श्री सूबे सिंह मीणा ने अनुवर्ती अभ्यावेदन दिनांक 14-02-2012 आयोग के माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया है जिसकी छायाप्रति आपको संलग्न की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण से संबंधित सभी क्रमवार भूमि अभिलेखों तथा भूमि अभिलेखों में किए गए बदलाव/परिवर्तन की मूल रिकोर्ड आयोग को जाँच हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अभ्यावेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय, जयपुर द्वारा इस मामले में स्टे आर्डर दिनांक 29-03-2011 दिया हुआ है जिसका अनुपालन न हो कर संबंधित भूमि पर गैर-अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को कब्जा दिया जाना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया उक्त वक्तव्य यदि सही पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मामले में दोषीगणों के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य है।

अभ्यावेदन से यह भी प्रतीत हुआ है कि मामले पर प्रशासन द्वारा दो बार पुलिस जांच करवायी गयी है जिसकी रिपोर्ट अभ्यावेदक के पक्ष में आई है किन्तु प्रतिवादीगण की मिलाभगत से प्रशासन इस मामले में पुनः तीसरी बार पुलिस जांच करवा रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी काबिज जमीन पर प्रशासन के साथ मिलकर गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा हड़पने/अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर आयोग ने गंभीरता से विचार किया है।

अतः अनुरोध किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित सभी मूल दस्तावेज संक्षिप्त रूप में जांच हेतु आयोग को पत्र प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजने का कष्ट करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस मामले में चर्चा हेतु आयोग के माननीय अध्यक्ष डा0 रामेश्वर उराँव ने दिनांक 13-03-2012 को 12.00 बजे आयोग में आपकी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति निश्चित की है। अतः आप मामले से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को आयोग में हाजिर होने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0 डी0 बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति सूचनार्थः-

श्री सूबे सिंह मीणा पुत्र श्री हरि सिंह मीणा, WZ-54A, आदर्श गली, ओ.बी.सी. बैंक के पीछे, पालम, नई दिल्ली-45

प्रति सूचनार्थ :-

(i) अध्यक्ष के निजी सहायक,
(ii) संयुक्त सचिव के निजी सचिव,
(iii) उपनिदेशक (के.डी.बी.),
(iv) F.M.P.T. (NIC),